परिशिष्ट "अ"

1

पचायत राज सचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./आर-2-/2018/ 8360 भोपाल, दिनाक 11 /06/2018

//आदेश//

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर के पत्र क्रमांक 1741/जि.पं./2018 दिनांक 08.06.2018 के प्रस्ताव अनुसार जिला पंचायत जबलपुर के एकल खातें में A श्रेणी के मद में उपलब्ध राशि से जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत खम्हरिया (बरेला) में लागत राशि रूपये 12.00 लाख का सामुदायिक भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2. शर्तें :-

2.1 निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. 3773, दि. 14.08.2017 द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवाल की मानक लागत रूपये 3,.550/- प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डो के अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आवश्यक समझे तो शासन के किसी भी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्यकता अनुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते है। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निरीक्षण परिश्रमिक तय कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की निधि से व्यय किया जा सकेगा।

2.6 निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 अनुसार मान्य होगा।

2.7 भवन निर्माण दि. 31.12.2018 तक पूर्ण कराना होगा।

3. यदि सामुदायिक भवन किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावें।

4. निर्माण कार्य कि 50 प्रतिशत राशि संबंधित निर्माण ऐजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जायेगी। द्वितीय किस्त की शेष 50 प्रतिशत राशि सामुदायिक भवन का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर संबंधित जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जायेगी।

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/पं.रा./आर-2-/2018/ 8361

भोपाल, दिनाक 11 /06/2018

प्रतिलिपिः-

1- संभागीय आयुक्त, जबलपुर संभाग म.प्र को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर के पत्र क्रमांक 1741 दिनांक 08.06.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर जियो टैगिंग के साथ मानिटरिंग हेतु पालनार्थ।
6. ओएसडी मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जबलपुर एवं पनागर जिला जबलपुर को पालनार्थ।
8. संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पालनार्थ।
9. मैनेजर विभागीय वेबसाईट/पंचायिका।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)